

**अनुमति की शर्तें ।**

- (i) अथवा भवन/मुखपट्टे के निर्माण की स्वीकृति स्वयंसेवा निगम की होती है ।
- (ii) निर्माण की प्रकृति एवं विस्तार (व्यापक, अल्पकाल, अस्थायित्व) का अर्थ/अर्थों को किराये में निर्माण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निर्माण किराये स्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) अपने निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवश्यक निर्माण को सुधारा करवायें ।
- (iv) स्वीकृत किराये को नियतकाल निर्माण कार्य होने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

**स्वावलम्बीय केवल आवासीय प्रोजेक्ट्स**

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवदन क्रमांक 691 दिनांक 22/07/2020

पार्सी नैज़दीन डार जी अनी मोहम्मद

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000 P.No: 01-ब-21 महसुला

पारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय हाइफ्लैट बोर्ड - बम्बरी

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय से पत्र

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 5762/- मात्र


जारी रसीद संख्या 1031/3558, 3559

दिनांक 22/07/2020 को जमा करा दी है ।

किरचडान 2020

सहायक नगर नियाजक  
नगर निगम, जोधपुर

पती +  
आवासीय

  
30/7/2020